राजस्व वाद :– 138/2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद :– 138/2023

वादी :–

1. सुरेश गोयल पुत्र श्री चर्तुभुज गोयल, जाति जीनगर, निवासी 18/402–403 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. नत्थुराम पुत्र जेठाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. राजू नागर पुत्र श्री पुरनमल नागर, जाति खटीक, निवासी–5 (पांच) बंगाली क्वाटर, कमला नेहरू नगर, जोधपुर
3. चन्द्र प्रकाश चौहान पुत्र श्री रामचन्द्र चौहान, जाति चौहान, निवासी नेहरू कॉलोनी, जोधपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : –

1. वादी की और से अधिवक्ता रूघाराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की और से के.एल. चौहान उपस्थित।

निर्णय :– 04-06-2025

–: आदेश :–

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेप कर कथन किया गया कि ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्यास 224/2 रकबा 20 बीधा 16 बिस्वा में से वादी को अपनी खरीदसुदा रकबा 04 बीघा भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य के जरिये करावे।

वादी के वाद को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता के. एल. चौहान ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 2 एंव 3 सुचना के बावजुद अनुपस्थित रहे और न ही अपना जवाब पेश किया गया। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

राजस्व वाद :– 138/2023

प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2023 पारित की जाकर तहसीलदार लूणी को ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्यास 224/2 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा में जमाबदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा पेश करने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार के पत्र कमांक भू.अ./2024/3786 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तनावडा जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 234 खसरा संख्या 224/2 रकबा 20.16 बीघा किस्म बारानी ॥÷ में से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1761 के द्वारा नत्थुराम द्वारा राजु नागर पुत्र पुरनमल को बैचान किया गया जिसके खसरा संख्या 224/6 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी ॥ जमाबंदी में दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 1880 के द्वारा नत्थुराम द्वारा बैचान करने पर चन्द्रप्रकाश चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान के नाम खसरा संख्या 224/10 रकबा 6.16 बीघा किस्म बारानी ॥ व सुरेश गोयल पुत्र चतुर्भुज के नाम खसरा संख्या 224/8 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जमाबंदी में दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 224/2, 224/6, 224/8, 224/10 में खातेदार के नाम अलग अलग बट्टा नंबर दर्ज है। अतः तहसीलदार लूणी द्वारा उक्त वाद को खारिज जाने की अनुशंषा की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजी भूमि ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्यास 224/2 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी कृषि भूमि को खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर प्रतिवादी संख्या दो, प्रतिवादी संख्या तीन एवं वादी को पंजीबद्ध दस्तावेज से हस्तान्तरण की है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 224/2, 224/6, 224/8, 224/10 में वादी एवं प्रतिवादी के नाम अलग अलग बट्टा नंबर से दर्ज है जो कि तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है। वादी एवं प्रतिवादीगण के उक्त विवादग्रस्त कृषि में अपने हक हिस्से अनुसार अलग से बट्टा नंबर दर्ज एवं तरमीम होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोदिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी